



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09102023-249283
CG-MH-E-09102023-249283

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 688]
No. 688]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 9, 2023/आश्विन 17, 1945
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 2023/ASVINA 17, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 9 अक्टूबर, 2023

[विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/154.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम 30 सितम्बर, 2023 से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में, विनियम 7 में, उप-विनियम (1) में, पहले परंतुक में,-
 - शब्द "रजिस्ट्रीकृत", जहाँ कहीं भी दिया हुआ है, के स्थान पर शब्द "रजिस्टर" आ जाएगा;
 - शब्दों "तीन वर्षों" के स्थान पर शब्द "उतने समय" आ जाएंगे;

- ग. शब्दों तथा चिह्नों “योग्यता (अर्हता) और अनुभव” से पहले दिया हुआ शब्द “ऐसी” हट जाएगा; और
- घ. शब्दों “अपेक्षाएँ पूरी कर लें” के बाद चिह्न तथा शब्द “, जितना बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए” जोड़े जाएंगे।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./470/2023-24]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/31/1778 द्वारा, 21 जनवरी, 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 तत्पश्चात्,-
 - (1) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
 - (2) 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
 - (3) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - (4) 3 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/22, द्वारा
 - (5) 11 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/04, द्वारा
 - (6) 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/11, द्वारा
 - (7) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/34; द्वारा
 - (8) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
 - (9) 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/115, द्वारा
 - (10) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
 - (11) 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/137, द्वारा
 - (12) 18 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/146, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 9th October 2023

(INVESTMENT ADVISERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/154 .—In exercise of the powers conferred under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force with effect from September 30, 2023.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, in regulation 7, in sub-regulation (1), in the first proviso thereto, -
 - a. after the words “Provided that” and before the words “investment advisers”, the word “the” shall be inserted;
 - b. after the words “investment advice” and before the words “comply with”, the word “shall” shall be inserted;
 - c. the word “such” appearing after the words “comply with”, shall be substituted with the words “the”; and
 - d. for the words “three years”, the words “such time as may be specified by the Board” shall be substituted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./470/2023-24]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 were published in the Gazette of India on January 21, 2013 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/31/1778.
2. The Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 were subsequently amended on, –
 - (1) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089;
 - (2) 8th December, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/023;
 - (3) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10;
 - (4) 3rd July, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/22;
 - (5) 11th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/04;
 - (6) 16th March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/11;
 - (7) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/34;
 - (8) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30;
 - (9) 17th January, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115;

-
- (10) 07th February, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121;
 - (11) 04th July, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137;
 - (12) 18th August, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.